21/8/24
12/7/24

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई मुकाम अराई (अजमेर)

• सुमेर सिंह पुत्र भंवर सिंह आयु लगभग 52 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम भोगादीत तहसील अरांई जिला अजमेर राज । –प्रार्थी

बनाम

• राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। –अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 92 /2023

ऑनलाइन नंबर 2023/.....

वकील प्रार्थी :– कुश कुमार वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05/12/23	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री कुश कुमार ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 08/1/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
08/1/24	पत्रावली पेश हुई आज किशनगढ़ धार..... .....की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/1/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
12/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..... दिनांक 01/3/24 को पेश हो।	
01/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..... दिनांक 28/3/24 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2/6/25

पत्रावली पेश हुई अजय ..... आर.किशनगढ़

..... की ओर से पत्रावली उपस्थित रखा गया।

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9.6.25 को

पेश हो।

9/6/25

पत्रावली पेश हुई अजय ... आर.किशनगढ़ ...

..... की ओर से पत्रावली उपस्थित रखा गया।

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/6/25 को

पेश हो।

27/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित।

P.O. स्वास्थ्य [illegible] कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश

पर पक्षकार। [illegible] अनुरोधानुसार.....

दिनांक 12/9/25 को पेश हो।

12/9/25

पत्रावली पेलडुई वकील पक्षकारान उप०।
प्रतिवादी/पक्षे 10. वादपत्रावली अनु०।
इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने हेतु
पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 10/10/25 को
पेश हो।

10/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०
पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 17/10/25 को
पेश हो।

17/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
वास्ते बहस हेतु
पत्रावली दिनांक 7/11/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
आरांई

7/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०/वकील प्रति
की बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से तैयार कर 21 को पत्रावली
पेश उपस्थ। पत्रावली पूर्ण [illegible] कार्यवाही समाप्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
दिनांक 21.10.25 को प्रार्थना पत्र
क्र.सं. 1. क्या प्रार्थना के अन्त
2.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 92/2023

सुमेर सिंह पुत्र श्री भवंर सिंह, आयु– 52 वर्ष लगभग, जाति– राजपूत, निवासी– ग्राम भोगादीत, तहसील– अंराई, जिला– अजमेर (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, अंराई

2. छीतर पुत्र सुवा

3. जतनी पत्नि घीसा

4. रतन पुत्र श्योकरण

5–रामा पुत्र काना

6. सुरज देवी पत्नि श्योकरण

7 हरकरण पुत्र सुवा

8. हरी पुत्र श्योकरण

9. हीरा देवी पत्नि रामाकिशन

सर्वजाति– गुर्जर, निवासीगण ग्राम भोगादीत, तहसील– अंराई, जिला– अजमेर (राज०)

10. कुलदीप सिंह पुत्र ओम सिंह, जाति– राजपूत, निवासी ग्राम भोगादीत, तहसील– अंराई, जिला– अजमेर (राज०)

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक 7/11/25

वकील वादी श्री कुश कुमार एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री कुश कुमार एडवोकेट द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात जो कि राजस्व ग्राम–भोगादीत, पटवार हल्का क्षेत्र– भोगादीत, भू० अभि० नि० क्षेत्र भोगादीत, तहसील– अंराई, जिला– अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर जमाबन्दी सम्वत् 2076 के अनुसार खसरा संख्या 1068/301 है एवं जिसका रकबा 0.8393 हैक्टेयर है। प्रार्थी की खातेदारी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर के खेत से लगती हुई सीमाओं के खेत के खसरा नम्बर क्रमशः 272, 303, 302 व 1069/301 है जिनके खातेदारो को इस प्रार्थना पत्र में बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी अपने कार्य से अपने गांव से अक्सर बाहर आता जाता रहता है प्रार्थी को इस बात का पूर्ण अंदेशा है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की अनुपस्थीती में उसकी जमीन पर नाजायज रुप से कब्जा करने की नियत रखते है तथा प्रार्थी ने जब जब अपनी आराजी की सुरक्षा करने बाबत् उसमें सुधार करने का प्रयास किया है तब तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को सीमा संबधी विवाद होने के कारण रोका है। प्रार्थी के द्वारा

अपनी खातेदारी के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर के सीमा ज्ञान हेतु तहसीलदार महोदय, अंराई के यहा आवेदन किया जिस पर तहसीलदार महोदय, अंराई ने आदेश क्रमांक / भू०अ०/सीमाज्ञान/2023/116 दिनांक– 18.05.2023 को सीमाज्ञान के आदेश प्रदान किये जिसके अनुसरण में पटवारी भोगादीत के द्वारा दिनांक– 09.06.2023 को सीमाज्ञान कर प्रार्थी को उसकी सीमाओ से अप्रार्थीगण की मौजूदगी में अवगत करवाया। प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर पर सीमाज्ञान के पश्चात् दिनांक– 20.06.2023 को अपनी फसल आदि की जगंली जानवरो से सुरक्षा करने के लिए उपाय करने का प्रयास किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को सीमा सबंधी विवाद करके रोका और दिनांक 09.06.2023 के सीमाज्ञान को मानने से इंकार कर दिया जिससे सीमा संबधी विवाद उत्पन्न हो गया है। प्रकरण कारण दिनांक– 20.06.2023 को उस समय उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने दिनांक 09.06.2023 को हुए सीमा ज्ञान को मानने से इंकार कर दिया जो कि निरन्तर जारी है । प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके अतः पत्थरगढी का निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 5.12.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । दिनांक 12.09.2025 को प्रतिवादी 1 से 10 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई । दिनांक 17.10.2025 को बहस सुनी गई । तहसीलदार अराई की जाच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं राजस्व ग्राम–भोगादीत, पटवार हल्का क्षेत्र– भोगादीत, भू० अभि० नि० क्षेत्र भोगादीत, तहसील– अंराई, जिला– अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर जमाबन्दी सम्वत् 2076 के अनुसार खसरा संख्या 1068/301 है एवं जिसका रकबा 0.8393 हैक्टेयर का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक [illegible]को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)